

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत- उपखण्ड अधिकारी मुकाम- डीडवाना

प्रार्थी- मोहम्मद शरीफ पुत्र गन्नी जाति शैरानी निवासी शैरानी आबाद, डीडवाना तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना-कुचामन राज0।

बनाम्

अप्रार्थीगण :- अ0 सलाम पुत्र फकरुदीन जाति शैरानी निवासी शैरानी आबाद, तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना-कुचामन राज0 वगै0।

किस्म मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या...34/2025 सन्-2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए।
11.02.2025	<p>प्रार्थी मोहम्मद शरीफ पुत्र गन्नी जाति शैरानी निवासी शैरानी आबाद, डीडवाना तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना-कुचामन राज0 ने यह प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण अ0 सलाम पुत्र फकरुदीन जाति शैरानी निवासी शैरानी आबाद, तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना-कुचामन राज0 वगै0 के पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>स्थगन पर सुना गया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन करने तथा प्रार्थी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे आगामी पेशी तक सरहद शैरानी आबाद के खेत खसरा सं0 1343/281 की भूमि में राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें व किसी प्रकार का बैचाण नही करें। अप्रार्थीगण को कोई उज एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें।</p> <p>नोट :-</p> <ol style="list-style-type: none"> उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251, पर प्रभावी नही रहेगा। प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनांक 10.03.2025 को पेश हो। <p style="text-align: center;"><i>Wheas</i> उपखण्ड अधिकारी डीडवाना</p> <p>10/3/25 पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सा अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर फगारें हैं। मिसल दिनांक 28/3/25 को पेश हो।</p>	

28/3/25

पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सा
अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर फगारें हैं।
मिसल दिनांक 8/5/25 को पेश हो।

8/5/25

पत्रावली पेश हुई । श्री मंगल

अवकाश/अन्य कार्य/दस्तावेज

मिसल दिनांक 8/5/25 को

27/5/25

पत्रावली कमील अर्थात् के अर्थात् पर कागजपत्रावली

कमील अर्थात् के अर्थात् पर पत्रावली का

परिपत्र-पत्रावली अर्थात् अर्थात् का निवेदन किया

कमील अर्थात् के अर्थात् पर न्याय दित है स्वीकार


किया जाकर पत्रावली परिपत्र अर्थात् की जाकर

के लाल अर्थात् अर्थात् के अर्थात् है।

Wreas

उपखण्ड अधिकारी

डीडवाना


को. व. म. म.)